प्रेस विज्ञप्ति
18/7/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर आँचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कासियाबेड़ा लौह अयस्क खदान, बादामपहाड़, मयूरभंज, ओडिशा के खनन पट्टाधारक और मेसर्स दास भाई मिनरल्स के मालिक बसंत कुमार दास की 1.52 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने 2005-2009 की अवधि के दौरान कासियाबेड़ा लौह अयस्क खदान, बादामपहाड़, मयूरभंज, ओडिशा से "अवैध खनन" के आरोप पर सतर्कता विभाग, ओडिशा पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और आरोप-पत्र के आधार पर जाँच शुरू की।

इससे पहले, ईडी ने मेसर्स सिद्धार्थ स्पंज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक आनंद कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था, जो बसंत कुमार दास के साथ मिलीभगत करके अवैध खनन में शामिल थे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस मामले में पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान भी चलाया गया था।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।